उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण
Chief Administrative Officer/Construction
एच-ब्लॉक, भागीरथी बिल्डिंग, सूबेदारगंज, प्रयागराज-015
H-Block, Bhagirathi Building, Subedarganj, Prayagraj-015

पत्र संख्या 136-ई/उप मुकाधि/नि./पुनः नियुक्ति/ग्रुप-सी

दिनांक 06.02.2025

अधिसूचना

विषय: निर्माण संगठन/एनसीआर के सिविल, विद्युत, एस एंड टी और परिचालन विभागों में अनुबंध के आधार पर रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई(एनजी)II/2024/आरसी-4/9 दिनांक 15.10.2024 और 31.12.2024।

*****

निर्माण संगठन/उमरे में सेवाओं की अनिवार्यता हेतु पुनः नियुक्ति के लिए इच्छुक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों से निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ विकल्प मांगे जाते है-

1. वेतन स्तर-01 से वेतन स्तर-09 में सेवानिवृत्त हुए गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित मूल वेतन-स्तर में उपलब्ध रिक्ति के समान पद के विरुद्ध पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जाना है।
2. रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी नियमानुसार आवेदक को आवेदित पद की चिकित्सा श्रेणी में योग्य होना अनिवार्य है।
3. पुनः नियुक्ति किए जा रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना/सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार हेतु उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (एलएआरएसजीईएसएस)/हटाए गए/बर्खास्त किए गए/अनिवार्य सेवानिवृत्त के अंतर्गत कवर नहीं किए गए होने चाहिए।
4. कर्मचारियों की उपयुक्तता/योग्यता का निर्धारण नामित समिति द्वारा किया जाएगा।
5. पुनः नियुक्ति हेतु कर्मचारी डीएआर/सतर्कता मामलों से मुक्त होना चाहिए।
6. पुनः नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष तक होगी।
7. पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भत्ते और अवकाश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.3-25/2020-ई.IIIA के अनुसार होंगे, जो निम्नानुसार हैं:

   अ. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके अनुबंध अवधि के दौरान एक निश्चित मासिक राशि पारिश्रमिक के रूप में स्वीकार्य होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी।

   ब. अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   स. निवास और कार्य के स्थान के बीच आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी हालांकि, सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आधिकारिक दौरे पर टीए/डीए, यदि कोई हो, की अनुमति दी जा सकती है।

   घ. सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों की दर से सवेतन अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. पुनः नियुक्ति अवधि 01 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि, पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, उसकी नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जा सकता है।
9. आरआरबी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने पर पुनः नियुक्त कर्मचारियों को तुरंत हटा दिया जाएगा।
10. पुनः नियुक्त कर्मचारियों को इकाई का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। पुनः नियुक्त कर्मचारियों को वित्तीय और डी एंड एआर शक्तियां नहीं दी जाएंगी और उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। पुनः नियोजित कर्मचारी वित्तीय एवं अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित या सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं।
11. केवल वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं वो सेवानिवृत्त के समय धारित वेतन लेवल एवं सेवानिवृत्ति विभाग मे ही आवेदन करने के पात्र हैं।
12. चयनित आवेदक को निर्माण संगठन/एनसीआर के किसी भी स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है।
13. पुनः नियोजित कर्मचारियों को पुनः नियोजित होने की सभी शर्तों का पालन करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

Contd....

14. पुन: नियुक्त का कार्य/आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो प्रशासन पुनः नियोजित कर्मचारियों की सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही 7 दिन का नोटिस देकर समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी सेवाएं समाप्त करने से पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा।

निम्नलिखित पदों को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है-

Civil		
Designation	Pay Level	Total
Ch. OS	7	5
OS	6	1
SSE/W	7 to 9	31
SSE/P. Way		11
SSE/D&D		7
JE/W	6	2
JE/P. way		1
JE/D&D		4
Assistant/Gr D	1	1
	Total	63

OPTG		
Desig.	Pay Level	HQ
OS	6	1
WMI	7	1
Pointsman/GA	2	1
Pointsman/GA	1	1
	Total	4

Electrical		
Designation	Pay Level	Total
Ch. OS	7	0
OS	6	1
SSE	7	13
JE	6	0
Sr. Tech		1
Tech-I	5	2
Tech-II	4	1
Helper	1	2
	Total	20

S&T		
Designation	Pay Level	Total
Ch. OS	7	0
OS	6	0
SSE/Sig.	7 to 9	3
JE/Sig.	6	0
Tech/Sig.	2 to 6	4
Assistant/Gr D	1	6
	Total	13

<u>आवेदन कैसे करें:</u>

योग्य एवं इच्छुक सेवनिवृत रेलवे अराजपत्रित कर्मचारी (वेतन स्तर -01 से स्तर-09 तक) निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-'बी' संलग्न) में आवेदन करें तथा उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें जैसे स्व-सत्यापित (i) पी.पी.ओ. की फोटोकॉपी (ii) सेवा प्रमाण पत्र (iii) पेंशन पहचान पत्र तथा (iv) हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो की 04 प्रतियां। आवेदन को उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/औ.सं. एवं निर्माण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण कार्यालय, हॉल संख्या 02, एच-ब्लॉक, भागीरथी बिल्डिंग, सूबेदारगंज, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज-211015 (यूपी) में **अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025** तक भेजना होगा। यह अधिसूचना एनसीआर की वेबसाइट http://ncr.Indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक: अनुलग्नक प्रोफार्मा 'ए'

6.2.2025

(संजय कुमार सिंह)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/औ.सं. एवं निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

प्रतिलिपि:

1. सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. सचिव, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
3. मुख्य इंजीनियर/निर्माण/मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
4. मुख्य इंजीनियर/निर्माण/उत्तर को सूचनार्थ हेतु।
5. मुख्य विद्युत इंजीनियर/निर्माण को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/निर्माण को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. मण्डल रेल प्रबंधक: प्रयागराज/झांसी एवं आगरा को उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अपने कार्यालयों और स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करने हेतु।
8. उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/निर्माण को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. मुख्य प्रबंधक/सूचना प्रणाली/मुख्यालय को उक्त अधिसूचना उमरे की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक 'ए'

उत्तर मध्य रेलवे के निर्माण संगठन में पुनः नियुक्ति (रि-इंगेजमेंट) हेतु आवेदन पत्र

(अधिसूचना संख्या 136-ई/उप मुकाधि/नि./पुनः नियुक्ति/समूह-सी दिनांक 06.02.2025)

सेवा में,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज-015

मैं पदनाम ..... हेतु उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निर्माण संगठन/एनसीआर की यूनिट ..... (यूनिट का नाम) विभाग ..... (सिविल/विद्युत/एस एंड टी/परिचालन) विभाग में पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन करता/करती हूँ। मेरी सेवा का विवरण इस प्रकार है;

1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
3.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
4.	ग्रेड पे/लेवल	
5.	एचआरएमएस आईडी	
6.	डिवीजन/यूनिट/विभाग का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए	
7.	जन्म तिथि DD-MM-YYYY	D D - M M - Y Y Y Y
8.	सेवानिवृत्ति की तिथि DD-MM-YYYY	D D - M M - Y Y Y Y
9.	सुपरएनुएशन/वीआरएस/लार्जेस या किसी अन्य सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति (निर्दिष्ट करें)	
10.	अंतिम आहरित वेतन (वेतनमान)	
11.	पीपीओ संख्या और तिथि	
12.	संलग्नक (सत्यापित छायाप्रति संलग्न): (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक मार्क करें)	हां नहीं
a.	सेवा प्रमाण पत्र	☐ ☐
b.	पेंशन पहचान पत्र	☐ ☐
c.	पेंशन भुगतान आदेश	☐ ☐
d.	बैंक पासबुक	☐ ☐
13.	मोबाइल नंबर	
14.	आधार कार्ड नंबर	
15.	पत्राचार के लिए पूरा पता (पिन कोड के साथ)	

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और यदि यह गलत/झूठी पाई जाती है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी।

हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएं एवं फोटो पर हस्ताक्षर करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : .....

स्थान : .....

दिनांक : .....